संख्या 3/2017/326/44-1-2017-3(बजट-03)/2016

प्रेषक,

हरिराज किशोर
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0
242-जवाहर भवन, लख्नऊ 1

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति 1

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या 3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में आपके पत्र दिनांक 23-03-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए लेखानुदान की स्वीकृति हेतु बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्रावधानों के अनुसार अनुदान सख्या-85 के लेखाशीर्षक-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-सार्वजनिक उद्यम निदेशालय तथा 04-सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में दर्शायी गयी धनराशियो को वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) में व्यय करने हेतु कुल धनराशि रू0 245.77 लाख (रूपये दो करोड् पैतालिस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है|

2- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के लिए स्वीकृत धनराशियों का विवरण निम्नवत है-

03-सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय

मद संख्या	वित्तीय वर्ष् 2017-18 की अन्तरिम फॉट (लाख रू0 में)
01-वेतन	197.20
02-मजदूरी	0.63
03-महंगाई भत्ता	9.86
04-यात्रा व्यय	0.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.21
06-अन्य भत्ते	11.25
07-मानदेय	2.08
08-कार्यालय व्यय	2.08
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.63
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.63
13-टेलीफोन पर व्यय	0.63
14-मोटर गाड़ियो का क्रय	0.00
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेटोल आदि की खरीद	3.75
16-व्यवसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान	0.42
18-प्रकाशन	0.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.00
42-अन्य व्यय	0.21
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.42
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.42
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	0.42
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.67
49-चिकित्सा व्यय	6.67
51-वर्दी व्यय	0.05
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00
योग	**239.65**

(रूपये दो करोड उन्तालिस लाख पैसठ हजार मात्र)

04-सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ)

मद संख्या	वित्तीय वर्ष् 2017-18 की अन्तरिम फॉट (लाख रू0 में)
01-वेतन	3.44
02-मजदूरी	0.04
03-महंगाई भत्ता	0.17
04-यात्रा व्यय	0.04
06-अन्य भत्ते	0.21
07-मानदेय	0.06
08-कार्यालय व्यय	0.17
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.13
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25
13-टेलीफोन पर व्यय	0.13
16-व्यवसायिक तथा सेवाओं के लिए भुगतान	0.42
42-अन्य व्यय	0.10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45-अवकाश यात्रा व्यय	0.04
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	0.42
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.21
49-चिकित्सा व्यय	0.21
51-वर्दी व्यय	0.04
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00
योग	**6.12**

(रूपये छः लाख बारह हजार मात्र)

3- उपरोक्त धनराशि उक्त विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखी जा रही है।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शिलय हैण्डबुक तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व सक्षम स्तर से ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्यित किया जाये।

इसके साथ साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

6- उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदानों को विभागवार/विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष, अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि रह जाने की सम्भावना रहती है। अत: जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये, जिससे महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद में व्यय के आकडों की बुकिंग में त्रुटियों न होने पाये।

भवदीय

हरिराज किशोर
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 3/2017/326(1) /44-1-2017-3(बजट-03)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रथम महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- शोध अधिकारी (प्रभारी अधिकारी), सार्वजनिक उद्यम विभाग, आडिट प्रकोष्ठ, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम विभाग, (आडिट प्रकोष्ठ) जवाहर भवन, लखनऊ।

10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मुरारी लाल
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।